



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-175
12/9/23


क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-5/2023/डी-1950

दिनांक 12.9.23

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना


राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गू.नि.स.स/ निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	05	श्री अभिनव अग्रवाल पुत्र श्री प्रेम कुमार अग्रवाल	श्री अभिनव अग्रवाल पुत्र श्री प्रेम कुमार अग्रवाल	1 व 2	आवारीय	श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी रागिति की योजना शांति नगर	914.82 व. म.	व्यावसायिक	मिश्रित भू उपयोग हेतु


उपायुक्त जोन-5
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि — निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।


उपायुक्त जोन-5
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-8735

दिनांक 12-9-2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102877

दिनांक : 12/09/2023

लोक सूचना

चौपडा आवास विकास एलएलपी जरिये पार्टनर श्री सीताराम चौपडा पंजीकृत कार्यालय 9ए, कैलाशपुरी हीरापथ के सामने, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर व घनश्याम भूतडा पुत्र श्री द्वारका दास भूतडा निवासी फ्लैट नं. 402, माधव विलास माधोसिंह सर्किल बनीपार्क, जयपुर जरिये मु.आम. मैसर्स सुखीजा कन्सट्रक्शन जरिये प्रोपराईटर श्री सीताराम चौपडा कार्यालय पता 9ए, कैलाशपुरी हीरापथ के सामने, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	ग्राम सिरसी तहसील जयपुर	चौपडा आवास विकास एलएलपी 9ए, कैलाशपुरी हीरापथ के सामने, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर	1637/3	0.1897
2.	ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास तहसील सांगानेर	घनश्याम भूतडा पुत्र श्री द्वारका दास भूतडा निवासी फ्लैट नं. 402, माधव विलास माधोसिंह सर्किल बनीपार्क, जयपुर	156 157	0.5500 0.8600
			कुल किता 03	1.5997

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12-09-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555

e-mail:

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक: 05/09/2023

फाइल नं. LU2012/JDA/2023-24/102862

लोक सूचना

श्री LALIT KISHOR GUPTA पुत्र श्री JAGDISH NARAYAN जाति MAHJAN निवासी BUSAR BHAWAN ROJDA JAIPUR

कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने प्राधिकृत अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टे.)
	रोजदा, आमेर (जयपुर)	LALIT KISHOR	706	2400	0.05
कुल					0.05

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 10-अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के अभाव में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ कार्यालय से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज उपलब्ध करवाकर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपरोक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 05-09-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 8734

दिनांक 12-9-2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102759

दिनांक : 05/09/2023

लोक सूचना


श्री विपुल शर्मा पुत्र श्री समीर शर्मा निवासी ए-45, सैनी कालोनी, पावर हाउस रोड, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	ग्राम सिरसी तहसील जयपुर	श्री विपुल शर्मा पुत्र श्री समीर शर्मा निवासी ए-45, सैनी कालोनी, पावर हाउस रोड, जयपुर	1446/2	0.1518
			कुल किता 01	0.1518

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 05-09-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555

e-mail:




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा. जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री हेमन्त गुलाटी	स्व. श्रीमति शान्ता गुलाटी	58	160.19 वर्ग गज.	निजी खातेदारी	आशियाना ग्रिन	पट्टा हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वारिसाना के रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र


उपायुक्त(जोन-10)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन- 11/2023/डी- 2 56 4
दिनांक: 11/9/23



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/जोन-11/उपा./2023/डी-2506

दिनांक 09/19/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/नाम हस्तान्तरण/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सूखण्ड संख्या	सूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री. र.केश. शर्मा	श्री. रूपनारायण उर्फ रूपचन्द पुत्र श्री. मूलचन्द शर्मा	11/OB/770	100 वर्ग मी.	ज.वि.प्रा. की रिंग रोड परियोजना ग्राम महपुर	रिंग रोड परियोजना	लीज होल्ड से जी. होल्ड हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत हक त्याग पत्र, शपथ पत्र के अधीन
2	श्री. रविन्द्र कुमार शर्मा	श्री. रूपनारायण उर्फ रूपचन्द पुत्र श्री. मूलचन्द शर्मा	11/OB/634	200 वर्ग मी.	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
3	श्री. रविन्द्र कुमार शर्मा	श्री. रूपनारायण उर्फ रूपचन्द पुत्र श्री. मूलचन्द शर्मा	11/OB/730	300 वर्ग मी.	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
4	श्री. रविन्द्र कुमार शर्मा	उपरोक्तानुसार	11/OB/739	300	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
5	श्री. रविन्द्र कुमार शर्मा	उपरोक्तानुसार	11/OB/752	300	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
6	श्री. रविन्द्र कुमार शर्मा	उपरोक्तानुसार	11/OA/7	1250	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
7	श्री. र.केश. शर्मा	उपरोक्तानुसार	11/OA/9	1250	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
8	श्री. र.केश. शर्मा	उपरोक्तानुसार	11/OA/75	627	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
9	श्री. रविन्द्र कुमार शर्मा	उपरोक्तानुसार	11/OA/76	627	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
10	श्री. रविन्द्र कुमार शर्मा	उपरोक्तानुसार	11/OA/77	627	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

उपायुक्त जोन-11,
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में करवाकर समाचार पत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करावे।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-+91-141-2569696 (सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीडी-91-141-2569696 एम्बेडेड (सम्बन्धित कार्यालय) : फैक्स -91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)

1/174

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1949

दिनांक:- 11-9-23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	ग. नि. स. स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	—	श्री सुनील छीपा एवं श्री रोहित छीपा पुत्रान् स्व. श्री पूरण चन्द छीपा	श्री पूरण चन्द छीपा पुत्र श्री राम दयाल छीपा	17 ए	156.66	अपोलो नगर	विश्वेसरिया नगर	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड, पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र


उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8250) : फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम श्यामपुरा बुहारिया, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी
जोन-14, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी- 2251

दिनांक:- 11-9-23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102808

दिनांक: 11/09/2023

लोक सूचना

श्री RAJU SHARMA पुत्र श्री HARI NARAYAN जाति SHARMA निवासी MOHANPURA VAYA VATIKA, TEH SANGANER, KHETAPURA, JAIPUR 303905

श्री SURESH SHARMA पुत्र श्री HARI NARAYAN SHARMA जाति SHARMA निवासी MOHANPURA VAYA VATIKA, TEH SANGANER, KHETAPURA, JAIPUR, 303905

श्री HANUMAN SHAY SHARMA पुत्र श्री HARI NARAYAN SHARMA जाति SHARMA निवासी MOHANPURA VAYA VATIKA, TEH SANGANER, KHETAPURA, JAIPUR, 303905

श्री KAILASH पुत्र श्री HARI NARAYAN जाति SHARMA निवासी KHETAPURA, MOHANPURA, JAIPUR, 303905

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	श्यामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	KAILASH S/O HARINAYAN, RAJULAL S/O HARI NARAYAN, SURESH S/O HARI NARAYAN, HANUMAN S/O HARI NARAYAN, BAGRA	184	3600	0.36
कुल					0.36

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11-09-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा.07/2023/डी- 177/

दिनांक:- 11/4/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। :-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स. का नाम	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री प्रेमप्रकाश कुमावत पुत्र श्री गोपाल लाल कुमावत	श्री प्रेमप्रकाश कुमावत पुत्र श्री गोपाल लाल कुमावत	24	111.11	निजी खातेदारी	नारायण वाटिका	पट्टे हेतु	मूल आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद व विक्रय पत्र इत्यादि प्रस्तुत किये गये है।
2.	श्री गणपत सिंह चौहान, श्री गणेश सिंह चौहान एवं श्री हनुमान सिंह चौहान पुत्रान् स्व. श्री करण सिंह चौहान	श्री गणपत सिंह चौहान, श्री गणेश सिंह चौहान एवं श्री हनुमान सिंह चौहान पुत्रान् स्व. श्री करण सिंह चौहान	61	115.56	निजी खातेदारी	नारायण वाटिका	पट्टे हेतु	मूल आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद व मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत किये गये है।
3.	सी.जी. जोस पुत्री स्व. श्री के.सी. जोस	सी.जी. जोस पुत्री स्व. श्री के.सी. जोस	72	111.11	निजी खातेदारी	नारायण वाटिका	पट्टे हेतु	मूल आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र व हक त्याग पत्रों इत्यादि प्रस्तुत किये गये है।

उपायुक्त जयपुर प्राधिकरण, अधिकारी
जयपुर, जयपुर

प्रतिलिपि :- प्रभारी अधिकारी (सूचना एवं जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा आवासीय लीजडीड/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती वन्दना सोमानी	श्री रमेश चन्द सेठी	एफ-37	216.67 वर्ग.	जविप्रा	वैशाली नगर	नाम हस्तान्तरण	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत वसीयत आदि।

उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्ड का पट्टा आवेदको के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-7,
उपायुक्त एवं जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर, जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2023/डी- 1767
दिनांक :- 11/9/2023



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1770

दिनांक 11/9/2023

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स. स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	07	श्री विक्रम सिंह शेखावत पुत्र श्री भागीरथ सिंह शेखावत	श्री विक्रम सिंह शेखावत पुत्र श्री भागीरथ सिंह शेखावत	1, 2, 13 एवं 14	आवासीय	आनन्द भवन गृ.नि.स.स. की योजना वीर विहार	1551.66 वर्गगज	सेक्टर व्यावसायिक एवं आशिक आवासीय दर्शित है।	व्यावसायिक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-7
जयपुर
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102886

दिनांक: 11/09/2023

लोक सूचना

मैसर्स डायनमिक जरिये अधिकृत पार्टनर श्री पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सावरमल अग्रवाल निवासी-सैक्टर 2, विद्याधर नगर, जयपुर एवं रामेश्वर प्रसाद चौधरी पुत्र श्री धन्नाराम चौधरी निवासी-ग्राम जयसिंहपुरा पोस्ट नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	महापुरा, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स डायनमिक जरिये अधिकृत पार्टनर श्री पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सावरमल अग्रवाल निवासी-सैक्टर 2, विद्याधर नगर, जयपुर एवं रामेश्वर प्रसाद चौधरी पुत्र श्री धन्नाराम चौधरी निवासी-ग्राम जयसिंहपुरा पोस्ट नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर	1544	8100	0.81
			710/2	4400	0.44
			1543	300	0.03
			2105/711	400	0.04
			2097/1542	4000	0.40
			1559	2600	0.26
			2099/1560	100	0.010
		कुल		1.99	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **11-09-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 8733

दिनांक 12-9-2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102883

दिनांक : 11/09/2023

लोक सूचना


श्री थानेश्वर जांगिड पुत्र रामरतन जांगिड, रामस्वरूप जांगिड पुत्र कन्हैयालाल जांगिड, रामरतन जांगिड पुत्र कन्हैयालाल जांगिड निवासी वार्ड नं. 4, एन.एच. 11, रामपुरा सीकर रोड, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	ग्राम रामपुरा तहसील आमेर	श्री थानेश्वर जांगिड पुत्र रामरतन जांगिड, रामस्वरूप जांगिड पुत्र कन्हैयालाल जांगिड, रामरतन जांगिड पुत्र कन्हैयालाल जांगिड	366 367/2 367/904 367/905 367/975 384 384/910 386 386/914	0.01 0.41 0.04 0.09 0.04 0.45 0.07 0.53 0.17
			कुल किता 09	1.81

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11-09-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555

e-mail:



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

लोक सूचना

विषय: 90ए हेतु लोक सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम नारदपुरा तहसील जमदारामगढ जिला जयपुर मे 90ए हेतु श्री गोकुल बंसल पुत्र श्री सोहन लाल बंसल द्वारा पर्यटन इकाई प्रयोजन खसरा नम्बर 489/297 क्षेत्रफल 27820 वर्गमीटर के लिये आवेदन किया गया है जिसकी लोक सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु आपको प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त (जीन-10)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन- 10/2023/डी-1932

दिनांक: 12/9/23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-10
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102870

दिनांक: 12/09/2023

लोक सूचना

श्री GOKUL BANSAL पुत्र श्री SOHAN LAL BANSAL जाति MAHJAN निवासी I D 7 SINDHI COLONY BANIPARK JAIPUR


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	नारदपुरा, जमवा रामगढ़ (जयपुर)	GOKUL BANSAL S/O SOHAN LAL BANSAL	489/297	27820	2.782
				कुल	2.782

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12-09-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- I.U2012/JDA/2023-24/ 102885

दिनांक:- 12/09/2023

लोक सूचना

SANDEEP & FAMILY LLP AUTHORISED PARTNER PREETI BAKSHI पत्नी श्री DR. SANDEEP BAKSHI जाति PANJABI निवासी 1, UDAIPUR GILARIYA, JAGATPURA, JAIPUR श्री SANDEEP BAKSHI पुत्र श्री MALOOK SINGH BAKSHI जाति PANJABI निवासी A-18 SHANTI PATH TILAK NAGAR JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का होटल प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा न.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	भनसर खेडी, बरसी (जयपुर)	SANDEEP & FAMILY LLP AUTHORISED PARTNER PREETI BAKSHI	914/162	11409	1.1409
2		DR. SANDEEP BAKSHI S/O MALOOK SINGH BAKSHI	915/162	6800	0.68
					1.8209

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरतावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किराी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रीस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक/जविप्रा/उपा./जो-1-12/2023/डी-8735

दिनांक 12-4-2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना रालग्न प्रारूप अनुसार 8 फो-ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहरताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जो-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर
01/

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

पंजीकृत नं. I.U2012/JDA/2023-24/102877

दिनांक 12/09/2023

लोक सूचना

चौपडा आवास विकास एलएलपी जरिये पार्टनर श्री सीताराम चौपडा पंजीकृत कार्यालय 9ए, कैलाशपुरी हीरापथ के सामने, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर व घनश्याम भूतडा पुत्र श्री द्वारका दास भूतडा निवासी प्लैट नं. 402, माधव विलास माधोसिंह सर्किल बनीपार्क, जयपुर जरिये, श्री रामगोपालपुरी सांगानेर न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात्:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा नं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1.	ग्राम सिरसी तहसील जयपुर	चौपडा आवास विकास एलएलपी 9ए कैलाशपुरी हीरापथ के सामने, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर	1637/3	0.1897
2.	ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ नोज्यावास तहसील सांगानेर	घनश्याम भूतडा पुत्र श्री द्वारका दास भूतडा निवासी प्लैट नं. 402, माधव विलास माधोसिंह सर्किल बनीपार्क जयपुर	156 157	0.5500 0.8600
			कुल भूमि 03	1.5997

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A for Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12-09-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जौन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

015

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004

दूरभाष 191-141-2574798 : ईपीडीएफ - 191-741-2569696 एक्सटें 8340

e-mail: